न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2021-104RAAJodhpur2021-51RTA225 Lrs of Ibrahim Mo. Iqbal ors Vs Ramgopal etc

1. इब्राहिम पुत्र रजाक खा. जाति मुसलमान निवासी ग्राम गोपा तहसील फलोदी, के कायम मुकामः
   1.1. मोहम्मद इकबाल पुत्र स्व० इब्राहिम जी
   1.2. मोहम्मद रफीक पुत्र स्व० इब्राहिम जी
   1.3. सदीक पुत्र स्व० इब्राहिम जी
   1.4. आकुब अली पुत्र स्व० इब्राहिम जी
   1.5. सलीम पुत्र स्व० इब्राहिम जी

   जातियान मुसलमान, निवासीगण गोपा, हाल पता व्यापारियो का बास, फलोदी, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. रामगोपाल पुत्र प्रभूलाल जाति जोशी ब्राहमण, निवासी ग्राम गोपा, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
02. तहसीलदार फलोदी ।
03. अभियन्ता, खनिज विभाग, राजस्थान सरकार बालेसर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेष दिनांक 19 नवंबर 2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 628/2018 रामगोपाल बनाम इब्राहिम इत्यादि

———————

उपस्थित–

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विष्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 13 मई 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 628/2018 रामगोपाल बनाम इब्राहिम इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 19 नवंबर 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष

राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 22 मार्च 2021 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 129/1 रकबा 15 बीघा ग्राम गोपा तहसील फलोदी में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 127 में सें सलंग्न नक्षे अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेष दिनांक 19 नवंबर 2021 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को न्यायालय सहायक कलक्टर बाप से सहायक कलक्टर फलोदी को स्थानान्तरित किये जाने की सूचना अपीलांट्स को दिये बिना अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई तमाम कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से गैर कानूनी एवं गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की जिस रिपोर्ट को आधार मानकर फैसला किया है, वह रिपोर्ट ही अनाधिकारपूर्ण है । पटवारी को ऐसे मामलो में रिपोर्ट करने के कोई अधिकार नहीं थे, बल्कि तहसीलदार अथवा राजस्व निरीक्षक द्वारा ही रिपोर्ट तैयार की जा सकती थी। पटवारी हल्का द्वारा मौके के हालात को बिलकुल विपरीत नजरी नक्शा बनाकर पेश किया गया है। फलोदी से मयाकोरिया जाने वाली डामर सड़क खसरा न० 127 के दक्षिण भाग में से निकलती है, जबकि नजरी नक्शे में इसे खसरा नं० 127 के उत्तरी भाग से निकलना बताया गया। उपखण्ड अधिकारी ने उसी रिपोर्ट को आधार मानकर फैसला कर दिया। अपीलार्थीगण गरीब काश्तकार है एवं अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नं0 127 में से पहलें ही फलोदी से मयाकोरिया जाने

वाली डामर सड़क बनाते समय लगभग 2 बीघा 10 बिस्वा जमीन बिना मुआवजे के ले ली गई एंव खाते में में कम कर दी गई। अब अपीलार्थी की भूमि में से और रास्ता बिना किसी कारण के उपलब्ध करवाये जाने का कोई आधार ही नही है। वास्तव में तो रेस्पोडेन्ट संख्या एक को किसी रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है। फलोदी सें मयाकोरिया जाने वाली डामर सड़क अपीलार्थी की भूमि खसरा नं0 127 में प्रवेश करने से पहलें गांव भोजका में से निकलती है एवं मौका अनुसार गांव गोपा के खसरा नं0 131 की सीमा के पास चलती है एवं इसी स्थान सें रेस्पोडेन्ट अपनी भूमि खसरा नं0 129 में वर्षों से आवागमन करता है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट के पास पहले से सुविधाजनक एंव वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है एवं उसें किसी रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ते के बारे में कोई रिपोर्ट तलब ही नहीं की एवं न ही वैकल्पिक रास्ते के बारे में कोई जांच की है। पटवारी ने जांच रिपोर्ट अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में मनमाने ढंग से बनाकर पेश कर दी एवं उसी को आधार मानकर फैसला कर दिया गया जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

दौराने बहस वकील अपीलांट्स ने निवेदन किया कि मौके पर खसरा नंबर 127 एवं 128 के मध्य से चलने वाली सड़क की राजस्व रेकर्ड में तरमीम नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए रा.का.अधिनियम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्षे में सड़क को खसरा नंबर 127 एवं 128 के मध्य से निकलना बताया गया है। अपीलांट्स का खेत सड़क की दूसरी दिषा में है तथा रेस्पोडेंट्स संख्या एक का खेत एवं खसरा नंबर 128 की भूमि चिपती हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के खेत में से रास्ता दिये जाने का प्रष्न ही पैदा नहीं होता है। विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपीलांट्स की भूमि में से 30 फीट की चौड़ाई के अनुसार रास्ता दिये जाने का आदेष पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र की सुनवाई का नोटिस अपीलांट्स के पिता इब्राहिम को मिलनें पर उनके द्वारा जरिये अधिवक्ता सहायक कलक्टर बाप में जबाब पेश किया गया था। अपीलांट्स के पिता की ओर से जो अधिवक्ता बाप में मुकरर्र थे, उन्होने बताया की फैसला होने पर इत्तला कर दी जावेगी।

इसी दरम्यान अपीलांट्स के पिता इब्राहिम का दिनांक 02.07.2020 को इंतकाल हो गया। अपीलार्थीगण मरहूम इब्राहिम के पुत्र है। पत्रावली बाप से फलोदी स्थान्तरित कर दी गई, जिसकी कोई सूचना मरहूम इब्राहिम कों नही दी गई तथा अपीलाधीन आदेष पारित कर दिया गया। दिनांक 10.03.2021 को क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक गांव में आये तथा अपीलार्थीगणों को बुलाकर कहा की उनकी भूमि खसरा नं० 127 में से रास्ता निकाला जावेगा, क्योकि उपखण्ड अधिकारी फलोदी के न्यायालय से ऐसा आदेश हुआ है। तब अपीलार्थी दिनांक 12.03.2021 को फलोदी गया एवं वहां पर अधिवक्ता श्री विजय तंवर से मिलने का प्रयास किया, परन्तु वे नही मिले। तब एक अन्य अधिवक्ता श्री सिकन्दर से पता करवाया तो मालुम हुआ कि दिनांक 19.11.2019 को ही पत्रावली में फैसला कर दिया गया। अपीलांट की ओर से उसी दिन नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश करवाया गया जो नकल दिनांक 17.03.2021 को मिली, जिसे पढाने व पढ़ने से अपीलार्थी को इसकी जानकारी हुई। इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। प्रथम जानकारी से हस्तगत अपील अन्दर मियाद पेश की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष दिनांक 19 नवंबर 2021 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने पर उनकी ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेष किया गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेष पारित किया गया है। अपीलांट्स का कथन है रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु खसरा नंबर 131 में से रास्ता उपलबध है। इस संबंध मे निवेदन है कि खसरा नंबर 131 एवं 127 समानांतर स्थित है। अपीलांट्स द्वारा बताये गये रास्ते की बजाय अपीलाधीन रास्ता लघुतम एवं निकटतम है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत रास्ते का आदेष पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रष्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 12 जून 2019 एवं नक्षा ट्रेस दिनांक 14.07.2017 के मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक के खातेदारी खेत खसरा नंबर 129 में आवागमन हेतु मौके पर खसरा नंबर 127 एवं 128 के बीच में से चलने वाली सड़क से खसरा नंबर 128 में सें होता हुआ रास्ता बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा सलंग्न नजरी नक्षा दिनांक 14.07.2017 को निर्णय का भाग मानते हुए उसी अनुसार रास्ता दिये जाने का आदेष पारित किया गया है। उक्त नजरी नक्षा में मौके पर चलने वाली डामर सड़क को ही अपीलांट्स के खेत में से चलना बताया गया है, जिस पर अपीलांट्स भी सहमत है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा मुख्यतः अपने खेत खसरा नंबर 129/1 में आवागमन हेतु खसरा नंबर 128 में से रास्ता चाहा गया है जो विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेष के जरिये प्रदान किया गया है। सलंग्न नजरी नक्षा अनुसार अपीलांट्स का खेत अपीलाधीन आदेष से प्रभावित नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–ए की मंषा के अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ता प्रदान किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेष में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। फिर भी न्याय हित में अपीलाधीन आदेष को नजरी नक्षा दिनांक 14.07.2017 के अनुसार स्पष्ट किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 628/2018 रामगोपाल बनाम इब्राहिम इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 19 नवंबर 2019 यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार फलोदी को निर्देष दिये जाते है कि वह रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु नजरी नक्षे में दर्षाये

गये रास्ते अनुसार ही खसरा नंबर 128 में ये रास्ते का राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन का इन्द्राज कर तरमीम अंकित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर